(3)

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र भट्ट (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 33/2019 प्रार्थना पत्र

उनवान

प्राधिकृत अधिकारी, शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ट्रांसपोर्ट नगर शाखा भीलवाड़ा (राज0)

बनाम 1.श्री मोहम्मद हमीद पिता मोहम्मद हनीफ छीपा नि0 म0नं0131,वार्ड नं0 34, तेजाजी चौक के पास,गांधीसागर तालाब, भीलवाड़ा
द्वितीय–मै0राजा कन्स्ट्रक्शन, वार्ड नं0 34 तेजाजी चौक के पास,गांधीसागर तालाब,भीलवाड़ा
2.श्रीमती नूरजहां पत्नि मो0 हनीफ छीपा नि0 म0नं0131,वार्ड नं0 34, तेजाजी चौक के पास,गांधीसागर तालाब, भीलवाड़ा
द्वितीय–मै0राजा कन्स्ट्रक्शन, वार्ड नं0 34 तेजाजी चौक के पास,गांधीसागर तालाब,भीलवाड़ा
3.श्री मोहम्मद हनीफ पिता शफी मोहम्मद नि0 म0नं0131,वार्ड नं0 34, तेजाजी चौक के पास,गांधीसागर तालाब, भीलवाड़ा
द्वितीय–मै0राजा कन्स्ट्रक्शन, वार्ड नं0 34 तेजाजी चौक के पास,गांधीसागर तालाब,भीलवाड़ा

—— प्रार्थी

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

निर्णय

दिनांक : 13/3/2019

प्राधिकृत अधिकारी, शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा ट्रांसपोर्टनगर शाखा, भीलवाड़ा की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया। जिसमें उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को ऋण सुविधा प्रदान की थी। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर अप्रार्थी संख्या 2 के नाम पुरानी आबादी भीलवाड़ा में तालाब के सामने पुरानी कचहरी से तेजाजी के रास्ते पर स्थित आवासीय जायदाद जिसका क्षैत्रफल 965 वर्गफीट है जिसमें 636 वर्गफीट पर निर्माण है शेष भाग खुला है जिसे श्री रामकरण पिता श्री किशन लाल

तेली निवासी तालाब रोड़, भीलवाड़ा से जरिये पंजीबद्ध विक्रयपत्र दिनांक 26.06.1990 से क्रय कर स्वामित्व प्राप्त किया को रहन रखा गया। अप्रार्थीगण के द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थीगण ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है। जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।

प्रार्थी अधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं जाहिर किया कि नियमों के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ–पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिए जाते हैं:–

1.रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत आक्षेप प्राप्त होता है तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करवावें।

2.आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ–पत्र पर दिये जा रहे हैं यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय की प्रति तहसीलदार भीलवाड़ा को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13/11 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा